

एडिटारियल

(संग्रह)

अगस्त भाग-1, 2020

दुष्टि, ६४११, प्रथम चल, डॉ. प्रुखर्ची चगर, दिल्ली-410009 फोन: 8750187501 ईभ्पेल: online@groupdrishfl.com

अनुक्रम

संवैधानिक ⁄ प्रशासनिक घटनाक्रम	5
त्रि-भाषा सूत्र : महत्त्व और चुनौतियाँ	5
आर्थिक घटनाक्रम	8
जाविक वटनाक्रम	o
 पर्यावरणीय प्रभाव आकलनः चुनौतियाँ और महत्त्व 	8
> H1-B वीजा का मुद्दाः समस्या और समाधान	10
> वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में गिरावट: चिंता का विषय	12
बेरुत विस्फोट: कारण और प्रभाव	15
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	15
भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका: उभरते संबंध	17
 आत्मिनर्भर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति 	20
 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन: चुनौतियाँ और महत्त्व 	23
पर्यावरण एव पारिस्थितिकी	23
> वन्यजीव पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता	25

सा	माजिक न्याय	28
>	व्यापक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता	28
>	धर्मिनरपेक्षता का भारतीय मॉडल: महत्त्व और चुनौतियाँ	30
>	पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार	33





संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

त्रि-भाषा सूत्र : महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रस्तावित 'त्रि-भाषा सूत्र' को तिमलनाडु समेत अन्य दिक्षण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया है और यह आरोप लगाया है कि 'त्रि-भाषा सूत्र' के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। हिंदी भाषा की बाध्यता के विरुद्ध कई दशक पूर्व हुए शक्तिशाली आन्दोलन के बाद तिमलनाडु में द्विभाषा नीति (Two-language policy) को अपनाया गया था। वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया था तब भी दिक्षण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था।

नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये 'त्रिभाषा सूत्र' पर बल देने का निर्णय लिया गया। इस नीति ने संपूर्ण भारत में त्रि-भाषा सूत्र की उपयुक्तता पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- 'त्रि-भाषा सूत्र' तीन भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है।
- हालाँकि संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- त्रि-भाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बिल्क इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझावों के लिये गठित राधाकृष्णन आयोग (1948-49) की रिपोर्ट से ही प्रारंभ हो गई थी। जिसमें तीन भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। आयोग का कहना था कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए।
- इसके बाद वर्ष 1955 में डॉ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा।
- कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में 'त्रि-भाषा सूत्र' को स्वीकार कर लिया गया परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका।

क्या है त्रि-भाषा सूत्र?

- पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

त्रि-भाषा सूत्र की आवश्यकता

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता (Multilingualism) और राष्ट्रीय सद्भाव (National Harmony) को बढ़ावा देना है।
- त्रि-भाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है।
 - इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था, अधिमानतः हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कोई एक।
 - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ अध्ययन किया जाना शामिल था।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- दक्षिण भारत में व्यापक विरोध
 - दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ आई, जिन्होंने राज्य में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अपने विचार व्यक्त किये।
 - 🔷 अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू कर दिया गया।
 - तिमलों में इस निर्णय के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दिखी और जल्द ही इस विरोध ने एक जनांदोलन का रूप ले लिया। अन्नादुरई ने इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने का उपकरण बना लिया। यह आंदोलन लगभग दो वर्ष तक चला।
- ब्रिटिश शासन ने समाप्त की हिंदी की अनिवार्यता
 - वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और फिर ब्रिटिश शासन ने सरकार के फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।
 - तब यह आंदोलन थम अवश्य गया, मगर यहाँ से राज्य में हिंदी विरोधी राजनीति का जो बीजारोपण हुआ, जो आगे फलता-फूलता ही गया।
- तिमलनाडु के लिये राजनीतिक मुद्दा
 - ◆ वर्ष 1967 में इस हिंदी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर एक राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam-DMK) तिमलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण, खासकर तिमलनाडु की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया जो आज भी यथावत कायम है।
- हिंदी-भाषी राज्य भी उत्तरदायी
 - ◆ दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध का अवसर देने के लिये काफी हद तक हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है।
 - हिंदी भाषी राज्यों में तिमल-तेलुगू जैसी भाषाओं को सीखने-सिखाने के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता है, इसलिये दक्षिण भारतीय राज्यों में भी हिंदी भाषा के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं हैं।

भाषा नीति पर तमिलनाडु मॉडल

- वर्ष 1968 के बाद तिमलनाडु ने द्विभाषा नीति के अंतर्गत तिमल और अंग्रेजी भाषा को अपनाया।
- दक्षिण भारतीय राज्य तिमलनाडु ने वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को महत्त्व दिया। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान ने तिमल लोगों को विकास के बेहतर अवसर प्रदान किये।
- तिमलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पर्यावरण के विकास में अंग्रेजी भाषा व तकनीकी ज्ञान का बड़ा योगदान रहा है।
- घरेलू स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा तिमल, तेलगू के विकास ने बंधुत्व की भावना में विकास िकया है।

तमिलनाडु में हिंदी का प्रसार

- तिमलनाडु का हिंदी भाषा के प्रति विरोध छात्रों को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को सीखने से वंचित कर रहा है।
- हालाँकि हिंदी भाषा की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है और CBSE स्कूलों की संख्या में पिछले एक दशक में वृद्धि हुई है, जहाँ हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है।
- चेन्नई स्थित 102 वर्ष प्राचीन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha) हिंदी भाषा के संरक्षण के लिये लगातार कार्य कर रहा है। प्रचार सभा के शताब्दी वर्ष में दक्षिण भारत में सिक्रिय हिंदी प्रचारकों (शिक्षकों) का 73 प्रतिशत हिस्सा तिमलनाडु से संबंधित था।

भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग "जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है" को उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिये और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा।

- अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लिये "अधिकृत" भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद राष्ट्रपित को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।
- अनुच्छेद 350A प्राथिमक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपित द्वारा नियुक्त किया जाएगी, यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपित को रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात् राष्ट्रपित उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार त्रि-भाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। हालाँकि यह भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करने के लिये एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। तिमलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी भाषा नीति के साथ न केवल शिक्षा मानक स्तरों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, बिल्क त्रि-भाषा सूत्र को अपनाए बिना राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा दिया है। इसिलये त्रि-भाषा सूत्र पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

आर्थिक घटनाक्रम

पर्यावरणीय प्रभाव आकलनः चुनौतियाँ और महत्त्व

संदर्भ

पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों और पर्यावरणिवदों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा लाया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 (Environmental Impact assessment Draft) पर्यावरण प्रभाव आकलन के मूल प्रावधानों को कमज़ोर करता है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

पर्यावरणिवदों और विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में बदलाव करने के लिये लाया गया यह नया मसौदा पर्यावरण विरोधी है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना में आपित्तयों को आमंत्रित करने की अविध को 60 दिनों तक बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि 60 दिनों की अविध कब शुरू होगी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2020 के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment-EIA) की अधिसूचना के संबंध में आपित्तयाँ और सुझाव देने की अंतिम तिथि को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

इस आलेख में पर्यावरण प्रभाव आकलन, उसके प्रभाव, पर्यावरणीय अनुमोदन की प्रक्रिया तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
- EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है।
- यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, तािक विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके।
- इन रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़्री दे सकते हैं अथवा नहीं।
- भारत में EIA का आरंभ वर्ष 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ आदि को भी शामिल किया गया।
- भारत में EIA प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना EIA रिपोर्ट, लोक सुनवाई आदि चरणों में संपन्न होती है।

पृष्ठभूमि

 पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने जल प्रदूषण (1974) और वायु प्रदूषण (1981) को नियंत्रित करने के लिये शीघ्र ही कानून बनाए। लेकिन वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया।

स्टॉकहोम घोषणा (1972)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई।

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने वर्ष 1994 में अपने पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और (प्रदूषण) को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक विधिक तंत्र स्थापित करता है। प्रत्येक विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये EIA प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।

EIA के पूर्व मानदंड की समस्याएँ

- पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्थापित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया पूर्व में भी कई बार संदेह के घेरे में रही है। उदाहरण के लिये, पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित हानिकारक प्रभावों से संबंधित EIA प्रक्रिया का आधार प्राय: कम दक्ष सलाहकार एजेंसियाँ होती हैं जो इसका प्रयोग कर श्रष्टाचार को बढावा देती हैं तथा सरकार को वास्तविक रिपोर्ट नहीं उपलब्ध करती हैं।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रशासिनक क्षमता का अभाव समस्या को और अधिक कठिन बना देता है।
- दूसरी ओर, परियोजना के निर्माणकर्ताओं की शिकायत है कि EIA प्रक्रिया ने उदारीकरण की भावना को न्यून कर दिया है, जिससे लालफीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2014 में परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुमोदन में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदे के प्रावधान

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 EIA प्रक्रिया पर लालफीताशाही और नौकरशाही के लिये कोई ठोस उपाय नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण सुरक्षा में सार्वजिनक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ीं पिरयोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, हालाँकि सरकार अब इस अधिसूचना के जिरये अन्य पिरयोजनाओं के लिये भी 'रणनीतिक' शब्द का प्रयोग कर रही है।
- नये मसौदे के तहत उन कंपिनयों या उद्योगों को भी क्लीयरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं। इसे 'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस' कहते हैं।
- इस मसौदे में यह कहा गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का संज्ञान लेगी। हालाँकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन या तो सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही रिपोर्ट किये जा सकते हैं।
- नये मसौदे के तहत पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली पिरयोजनाएँ भी अब मंज़ूरी के लिये आवेदन कर सकेंगी। यह बिना मंज़ूरी के संचालित होने वाली पिरयोजनाओं के लिये मार्च, 2017 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है।

प्रस्तावित मसौदे की समस्याएँ

 ि किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार को ऐसे कानूनों पर जनता की राय लेनी होती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना होती है और कानून के प्रावधानों में उन्हें भागीदार बनाना होता है, परंतु प्रस्तावित मसौदे में सरकार ने जनता के सुझावों के लिये तय समयसीमा को कम करने का प्रयास किया।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित नई अधिसूचना पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में लोगों के अधिकारों को छीनकर उनकी भूमिका को बहुत कम करती है।

- सरकार ने प्रस्तावित मसौदे के जिरये अन्य पिरयोजनाओं के लिये भी 'रणनीतिक' शब्द का प्रयोग किया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 के तहत अब ऐसी पिरयोजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजिनक नहीं की जाएगी, जो इस श्रेणी में आती हैं।
 - ♦ इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि अब पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिये रास्ता खुल जाएगा। उद्योग ऐसी परियोजनाओं को 'रणनीतिक' बताकर आसानी से अनुमित ले लेंगे।
- इसके अतिरिक्त नया मसौदा विभिन्न परियोजनाओं की एक बहुत लंबी सूची पेश करती है जिसे जनता के साथ विचार-विमर्श के दायरे से बाहर रखा गया। उदाहरण के तौर पर देश की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में सड़क या पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के लिये सार्वजिनक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

- एक चिंता यह भी है कि विभिन्न देशों की सीमा से 100 कि.मी. की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को 'बॉर्डर क्षेत्र' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कारण उत्तर-पूर्व का अधिकांश क्षेत्र इस परिभाषा के दायरे में आ जाएगा, जहाँ पर देश की सबसे घनी जैव विविधता पाई जाती है।
 - ♦ इसके अंतर्गत सभी अंतरदेशीय जलमार्ग पिरयोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण को EIA मसौदे के तहत मंजूरी लेने के दायरे से बाहर रखा गया है।
- सरकार के यह सारे प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के लिये बने मूल कानून के साथ ही गंभीर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय मानदंडों में परिवर्तन से स्थानीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही व्यक्ति की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो सकता है, घाटी में बाढ़ आ सकती है और जैव-विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सरकार को पर्यावरणविदों के द्वारा रेखांकित की गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मानवीय जीवन के गरिमामयी विकास के लिये स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है।

H1-B वीज़ा का मुद्दाः समस्या और समाधान

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार के किसी भी कार्य में भाग लेने से प्रवासी कामगारों को रोकने के लिये H1-B वीजा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क-वीजा (Work Visas) पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस प्रतिबंध से भारत समेत कई देशों के प्रवासी कामगार व ग्रीन कार्ड धारक व्यक्ति प्रभावित होंगें। अमेरिकी राष्ट्रपित ट्रंप के अनुसार, यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की सहायता करने के लिये अति आवश्यक है जो वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हो गए हैं।

अमेरिका में नवंबर, 2020 में राष्ट्रपित पद हेतु चुनाव होने हैं ऐसे में राष्ट्रपित ट्रंप का यह आदेश चुनाव के दृष्टिकोण से अधिक मायने रखता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपित को भेजे पत्र में एक अमेरिकी सांसद ने वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण बढ़ती बेरोजगारी के कारण अमेरिकी कामगारों की आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु H-1B, H4, H2-B, H-3, 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोप्राम' (Optional Practical Training Program) और प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी अन्य योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी।

इस आलेख में जारी किये जाने वाले वीजा के विभिन्न प्रकारों, प्रतिबंध के कारण, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव तथा अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव और समाधान के प्रयासों पर विमर्श किया जाएगा।

वीज़ा के विभिन्न प्रकार

- H1-B वीजा: संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1-B वीजा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1-B वीजा वस्तुत:
 'इमीग्रेशन एंड नेशनिलटी एक्ट' (Immigration and Nationality Act) की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर-अप्रवासी (Non-immigrants) नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमित देता है।
- H-4 वीजा: H1-B वीजा धारकों के आश्रित परिवार के सदस्यों (पित/पत्नी) को एक H-4 वीजा जारी किया जाता है जो कि H1-B वीजा धारक के साथ उनके प्रवास के दौरान अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। H-4 वीजा के तहत मुख्य आवेदक H1-B वीजा धारक ही होता है। H-4 वीजा के लिये परिवार के सदस्य जैसे पित/पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश के ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आवेदन कर सकते हैं।
- H2-B वीजा- इस तरह के वीजा का आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र को श्रम विभाग से प्रमाणित होना चाहिये। यह अस्थाई रोजगार के लिये जारी किया जाता है।
- H-3 वीज़ा- यह वीज़ा प्रशिक्षुओं के लिये जारी किया जाता है। जो लोग किसी कार्य के प्रशिक्षण के लिये अमेरिका जाना चाहते हैं वे लोग इस तरह के वीज़ा के लिये आवेदन करते हैं।

• L-1 वीजा: एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके तहत कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों या फिर मूल कंपनी में रख सकती हैं।

वीजा निलंबन का कारण

- वर्ष 1952 में H1 वीजा योजना की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य देश के कुशल श्रमिकों की कुछ श्रेणियों को अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने के उद्देश्य से कई संशोधन और बदलाव हुए हैं।
- भारत और चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों में इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन के साथ ही बड़ी संख्या में स्नातक, अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपेक्षाकृत कम लागत पर कार्य करने के लिये तैयार होने लगे।
- दूसरे देशों से कम लागत पर कर्मचारी आने के कारण अमेरिका के अपने घरेलू कर्मचारियों को काम मिलना बंद हो गया, जिससे अमेरिका के स्थानीय निवासियों के बीच बेरोजगारी बढ़ने लगी।
- अमेरिकी राष्ट्रपित के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से ही राष्ट्रपित ट्रंप ने अन्य देशों से आए हुए श्रिमकों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बाधक और स्थानीय लोगों से रोजगार छीनने वाले समृह के रूप में देखा।
- ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, अमेरिका की बेरोजगारी दर में फरवरी 2020 से मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी वृद्धि हुई
 है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद अमेरिका में बेरोज़गारी की स्थिति भयावह होती जा रही है, ऐसे में स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रकार के वर्क वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

- अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक वर्ष जारी किये जाने वाले H-1B और अन्य वीजा श्रेणियों में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (लगभग 60-70 प्रतिशत) रही है।
- अमेरिकी प्रशासन के श्रम विभाग के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 तक 'यूएस सिटिजनशिप एंड इिमग्रेशन सर्विसेज' (US Citizenship and Immigration Services-USCIS) को लगभग 2.5 लाख H-1B वर्क वीजा एप्लिकेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें से लगभग 1.84 लाख या 67 प्रतिशत भारतीय आवेदक थे।
- माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हालिया अध्ययन के अनुसार, लगभग 97 प्रतिशत H-4 वीजा धारक महिलाएँ हैं और उनमें भी लगभग 93 प्रतिशत भारत से हैं, जबकि 4 प्रतिशत चीन से हैं।
- वर्क वीजा पर प्रतिबंध से भारत समेत अन्य देशों की कंपनियों को अपेक्षाकृत महँगे अमेरिकी पेशेवरों की नियुक्ति के लिये विवश होना पड़ेगा,
 ऐसे में इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- बड़ी संख्या में इन पेशेवरों के वापस आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
- भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव

- अमेरिका इस बात को समझने में असमर्थ है कि उसके इस कदम से उसका भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका में H1-B वीजा पर काम करने वाले अधिकांशत: पेशेवरों के साथ उनका परिवार भी अमेरिका में ही रहने आ जाता है। चूँिक उनका यह परिवार किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा होता है इसलिये अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है।
- वर्क वीजा पर प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिका न केवल विदेशों पेशवरों को रोक रहा है बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति पर भी विराम लगा रहा है।
- अमेरिका में व्यावसायिक पेशेवरों की कमी हो सकती है, जिससे विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में कुशल व्यक्तियों का अभाव होगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा।
- अमेरिका द्वारा लगाए गए वर्क वीजा प्रतिबंध से कई भारतीय व अन्य देशों की कंपनियाँ अपना कारोबार समेत सकती हैं।

• चूँिक नियमों के अनुसार, भारत समेत अन्य देशों की कंपनियाँ वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत अमेरिकी पेशेवरों की नियुक्ति करती हैं ऐसे में यदि ये कंपनियाँ अमेरिका से अपना कारोबार समेटती हैं तो यहाँ बेरोजगारी की दर में तीव्र वृद्धि होगी।

समाधान

- विशेषज्ञों के अनुसार, COVID-19 की महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में विश्व के बहुत से देश स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिये आव्रजन में अधिक-से-अधिक कमी करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सरकार को देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
- देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर नए संसाधनों का विकास कर इस समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) क्षेत्र की कई कंपनियों जैसे-TCS, विप्रो आदि एक नए मॉडल पर कार्य कर रहीं हैं जिसके तहत आधे से अधिक कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सुविधा होगी, इसके माध्यम से भारत में रह रहे कामगार विश्व के अन्य देशों में स्थित कंपनियों में अपनी सेवाएँ दे पाएँगे।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में गिरावट: चिंता का विषय

संदर्भ

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (Goods and Services Tax Act) में इस बात की गारंटी दी गई है कि GST कार्यान्वयन (2017-2022) के पहले पाँच वर्षों में राजस्व में किसी भी नुकसान की भरपाई को उपकर (Cess) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा जारी करने की घोषणा की थी। वस्तु एवं सेवा कर मुआवजो की राशि 1,65,302 करोड़ रूपए निश्चित की गई। जबिक मुआवजा उपकर राशि का संग्रह 95,444 करोड़ रूपए था। इससे सार्वजिनक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बेहतर करने तथा वैश्विक महामारी COVID-19 महामारी हेतु राहत कार्यों को त्विरत करने में जुटे राज्यों को सहायता मिलेगी।

यदि राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये फॉर्मूले पर फिर से निर्धारित करने का GST अधिनियम में प्रावधान किया गया है। GST अधिनियम के तहत यदि राज्यों का वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से कम संग्रहित होता है, तो इस अंतर की भरपाई की जाएगी।

इस आलेख में वस्तु एवं सेवा कर की पृष्ठभूमि, GST राजस्व में गिरावट के कारण, क्षतिपूर्ति उपकर, GST परिषद की भूमिका और चुनौतियों इत्यादि पर विमर्श किया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा करः पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था।
- गौरतलब है कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
- GST के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग इ्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सिम्मिलित हो जाएँगे।

वस्तु एवं सेवा कर का स्वरुप

- एक राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) कहा जाता है। CGST केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है।
- राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) कहा जाता है। SGST कर को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है।
- इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाने और प्रशासित करने की व्यवस्था है।

क्षतिपूर्ति उपकर

- GST अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14 प्रतिशत से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षितपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षितपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
 - 🔷 क्षतिपूर्ति उपकर ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई, 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर संग्रहीत किया जाएगा।
 - ♦ सभी करदाता (विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं को निर्यात करने वालों को और GST कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर) GST क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रहण और केंद्र सरकार को इसके प्रेषण के लिये उत्तरदायी हैं।
 - इसके बाद, केंद्र सरकार इसे राज्यों को वितरित करती है।

GST राजस्व में गिरावट के कारण

- देश में COVID-19 के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करना पड़ा है।
- सार्वजिनक आवाजाही और पर्यटन की गितविधियों पर रोक से होटल, परिवहन आदि क्षेत्रों से आने वाला राजस्व प्रभावित हुआ है।
- हालाँकि लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 40 प्रतिशत 'अतिआवश्यक' श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियों को चालू रखने की अनुमित दी गई थी, परंतु मजदूरों के पलायन, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और परिवहन के प्रभावित होने आदि कारणों से अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी।
- लॉकडाउन के कारण उन राज्यों पर और अधिक प्रभाव पडा है जिनकी अर्थव्यवस्था में स्थानीय राजस्व की भूमिका अधिक थी।
 - उदाहरण के लिये गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक और तिमलनाडु राज्य जिनका 70% से अधिक राजस्व स्थानीय स्रोतों से प्राप्त होता है, उन्हें लॉकडाउन से सबसे अधिक आर्थिक क्षति हुई है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि GST संग्रहण पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का काफी असर देखने को मिला है, आत्मविश्वास की कमी और भय के कारण निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं और वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि नहीं हो रही है जिसका स्पष्ट प्रभाव GST राजस्व पर पड़ रहा है।

GST परिषद की भूमिका

GST परिषद का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना है-

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर तथा अधिशुल्क; जिन्हें GST के अंतर्गत समाहित किया जा सके।
- ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ, जिन्हें GST के अधीन या उससे छूट प्रदान की जा सके।
- आदर्श GST कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, IGST का बँटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिद्धांत।
- वह सीमा रेखा, जिसके नीचे वस्तु और सेवा के टर्नओवर को GST से छूट प्रदान की जा सके।
- वह दिनांक, जबसे कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर GST वसूला जा सके।
- िकसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अविध के लिये कोई विशेष दर या दरें।
- उत्तर-पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान।
- GST परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं GST से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है।

संबंधित चुनौतियाँ

प्राथिमकताओं से विचलन: वित्त पर गिठत संसदीय स्थायी सिमित द्वारा लॉकडाउन के बाद अपनी पहली बैठक आयोजित की गई जिसमे
 वर्तमान महामारी और इसके विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के बजाय 'नवाचार पारितंत्र एवं भारत की विकास
 कंपनियों का वित्तीयन' जैसे विषय पर चर्चा की गई।

- पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता: वर्ष 2020-21 का बजट अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह राजस्व संग्रह के बारे में कुछ अनुमानों पर आधारित
 था और इस वर्ष समग्र राजस्व कमी पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - ◆ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिये सरकार द्वारा किसी राहत पैकेज की प्रभावकारिता पर भी कोई स्पष्टता व्यक्त नहीं की गई है।
- बढ़ता अंतराल: क्षितपूर्ति उपकर तथा केंद्र द्वारा राज्यों को किये जाने वाले भुगतान के बीच अंतराल संभावित आर्थिक संकुचन व वैश्विक महामारी के कारण बढ़ने की आंशका है और इससे GST संग्रह भी प्रभावित हो सकता है।
 - महामारी के दौरान लोगों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति से क्षितपूर्ति उपकर अंतर्वाह में कमी आ सकती है।
- भुगतान की समस्या: इस वर्ष राज्यों को मुआवजा देना केंद्र के लिये और भी कठिन होने वाला है क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में राज्यों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान लगभग 70,000 करोड़ रुपए कम है।
 - GST लागू होने के पहले दो वर्षों में उपकर राशि एवं भारत की संचित निधि से एकीकृत GST (Integrated Goods and Service Tax-IGST) निधियों का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान किया गया था।
 - ◆ IGST को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा वर्ष 2017-18 में एकत्र किये गए इसके कुछ हिस्से का अभी तक राज्यों को आवंटन नहीं किया गया है।
- बैठकों में विलंब: क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर कार्य करने के लिये GST परिषद (GST Council) की बैठक जुलाई में प्रस्तावित थी लेकिन अभी तक बैठक आयोजित नहीं की गई है।

संभावित समाधान

- केंद्र सरकार के ऊपर राज्यों को राजस्व की भरपाई करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान संशोधन करके पांच वर्ष की समयाविध को तीन वर्ष तक निर्धारित किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार अपने राजस्व से राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा सकती है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह विकल्प व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता।
- केंद्र सरकार उपकर के आधार पर ऋण भी ले सकती है और राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति देने हेतु पाँच वर्ष की समयाविध को बढ़ाकर सात वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है।

आगे की राह

- राज्यों को क्षितिपूर्ति के वायदे को पूरा करने के लिये केंद्र द्वारा भिवष्य में GST उपकर संग्रहण की गारंटी पर विशेष ऋण लेने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है।
- केंद्र एवं राज्यों दोनों को महामारी के कारण पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिये नकदी पर स्पष्टता और निश्चितता की आवश्यकता है ताकि महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके।
- देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सरकार को उन तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है जिनके माध्यम से GST संग्रह को बढ़ाया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बेरुत विस्फोट: कारण और प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरुत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। जिसमें कई लोगों की मृत्यु होने तथा हजारों लोगों के घायल होने की संभावना है। इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूँज निकोसिया शहर तक सुनी गई है। निकोसिया, साइप्रस की राजधानी है, जो विस्फोट वाले स्थान से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। भू-वैज्ञानिकों का यह मानना है कि विस्फोट 3.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भकंप के बराबर था।

विशेषज्ञों के अनुसार, धुएँ के रंग और मशरूम आकार में छाए धुएँ के गुब्बार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium Nitrate) के भंडार में लगी आग हो सकती है। लेबनानी अधिकारियों का भी यह मानना है कि बेरुत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था जो विस्फोट का मुख्य कारण बना। विस्फोट के परिणामस्वरूप बेरुत में लगभग 2.5 से 3.0 लाख लोग बेघर हो गए हैं और लगभग 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है।

इस आलेख में लेबनान की भू-राजनीतिक स्थिति, विस्फोट के कारण, प्रभाव तथा वैश्विक बिरादरी की प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

लेबनान की भू-राजनीतिक स्थिति

- पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है।
- लेबनान के उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल स्थित है।
- लेबनान मुख्य रूप से रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के शासन के अंतर्गत रहने के बाद फ्रांस का उपनिवेश भी रहा है। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण लेबनान की धार्मिक और जातीय विविधता इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाती है।
- लेबनान की लगभग 54 प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म को तथा 40.7 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है।
- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह फ्रांस का उपनिवेश बना। वर्ष 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लेबनान लम्बे समय तक गृहयुद्द
 में भी जुझता रहा है।

विस्फोट का कारण

- लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, बेरुत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था जो विस्फोट का मुख्य कारण बना।
- लेबनान के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2013 में जार्जिया से मोजाम्बिक जा रहे एक शिप ने तकनीकी कारणों से बेरुत बंदरगाह पर डॉक किया।
- बेरुत में शिप का निरीक्षण करने पर उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध करा पाने के कारण बेरुत बंदरगाह प्राधिकरण ने अमोनियम नाइट्रेट को सीज कर वेयरहाउस में रखवा दिया।
- संभवत: वेयरहाउस में रखे इसी अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने की वजह से विस्फोट हुआ।

अमोनियम नाइट्रेट

- अमोनियम नाइट्रेट, एक रंगहीन, गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड (लॉफिंग गैस) में बदल जाता है।
- अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है। यह साधारण ताप व दाब पर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कृषि में इसका उपयोग उच्च-नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के रूप में तथा विस्फोटकों में आक्सीकारक के रूप में होता है।

- इसे आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का भी कारण रहा है।
- कृषि क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और नमी के कारण यह मृदा में जल्दी घुल जाता है जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है जो पौधे के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण होती है।

संगृहीत अमोनियम नाइट्रेट हानिकारक

- यदि संगृहीत अमोनियम नाइट्रेट अग्नि या अन्य विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आ जाता है तो यह एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकता
 है।
- बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली उष्मा से संगृहीत अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने से भी काफी बडा विस्फोट हो सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, बेरुत में हुई घटना संगृहीत अमोनियम नाइट्रेट के अन्य विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आ जाने के कारण घटित होने की संभावना अधिक है।
- पूर्व में वर्ष 2013 में टेक्सास के एक उर्वरक संयंत्र में अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए थे तो वहीं वर्ष 2001 में फ्रांस के टूलूज़ (Toulouse) में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट का कारण भी अमोनियम नाइट्रेट था।
 प्रभाव
- अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों और कुछ घरेलू कारणों से लेबनान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ वर्षों से काफी खराब
 है।
- लेबनान की अर्थव्यवस्था की बात करे तो यहाँ की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वर्तमान में लगभग 1500 लेबनानी पाउंड की कीमत एक डॉलर से भी कम है।
- लेबनान में बेरोजगारी चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, लेबनान में बेरोजगारी की दर 30 प्रतिशत तक पहुँच गई है। वर्तमान में यहाँ 15-29 आयु वर्ग के बीच प्रत्येक तीन युवाओं में से केवल एक युवा को ही रोजगार मिल पा रहा है।
- लेबनान की जनता भी व्यापक भ्रष्टाचार का सामना कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, लेबनान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 (Corruption Perception Index-2019) में 180 देशों की सूची में 137 वें स्थान पर है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण लेबनान में आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बेरुत में यह घटना लेबनान की समस्याओं में और अधिक वृद्धि कर देगी।
- रासायनिक व भौतिक रूप से संवेदनशील स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के कारण वैश्विक बिरादरी के समक्ष लेबनान की छिव नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने इस ओर इशारा किया है कि बेरुत में हुई घटना जानबूझकर किये गए हमले की ओर संकेत करता है। ट्रंप के बयान के बाद से ही कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेबनान के राजनीतिक संगठन हिज्बुल्ला को लेबनान की राजनीति से अलग-थलग करने के लिये बेरुत पर दबाव बनाने की मंशा से इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई के रूप में भी देख रहे हैं।
 - ♦ विदित है कि लेबनान की राजनीति में दखल रखने वाले संगठन हिज़्बुल्ला को इज़राइल एक आतंकवादी संगठन मानता है।
- हालाँकि इजराइल ने बेरुत में हुई इस घटना में अपनी किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। इजराइल ने बेरुत में बचाव कार्य हेतु लेबनान को सहायता की पेशकश भी की है।
- फ्रांस के राष्ट्रपित इमैनुअल मैंक्रो (Emmanuel Macron) बेरुत की घटना के बाद लेबनान का दौरा करने वाले प्रथम राजनेता हैं। मैंक्रो ने लेबनान की जनता से बेरुत के पुनर्निर्माण का वादा करते हुए लेबनान से भ्रातृत्व व एकजुटता का संदेश दिया।
- भारत सरकार ने बेरुत में जारी बचाव कार्य में सहयोग देने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत में अमोनियम नाइट्रेट विनियमन

 भारत में अमोनियम नाइट्रेट के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 में विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं।

- इसका उद्देश्य पूरे देश में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री अथवा उपयोग के लिये इसके विनिर्माण, रूपांतरण, आयात-निर्यात आदि को विनियमित करना है।
- अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण को अवैध घोषित किया गया है।
- अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिये औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- वर्तमान में सभी देशों के सहयोग से लेबनान को बेरुत में राहत एवं बचाव कार्यों में तेज़ी लानी चाहिये।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में जब सभी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है तब ऐसी स्थिति में सभी देशों को मिलकर सामृहिक रूप से लेबनान में हजारों की संख्या में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिये आगे आना चाहिये।
- प्रत्येक देश को बेरुत में हुई घटना को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिये और अपने देश में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट व अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विनियमन के लिए नीति का निर्माण करना चाहिये।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिकाः उभरते संबंध

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका अभूतपूर्व सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सहयोग न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र तथा सामिरिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत-चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से अमेरिका और भारत के संबंधों में घनिष्ठता दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है।

बहरहाल, भारतीय सीमा पर हुई हिंसक घटना को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय से चीन के व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। ऐसा सिर्फ सामरिक मामलों में ही नहीं बल्कि व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी हुआ है। यही कारण है कि अमेरिकी राजनीति आज समान रूप से चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना चाहती है। पूर्वी लद्दाख तथा दक्षिण चीन सागर में चीन का रुख किसी कारणवश नरम हो जाए तो भी भारत या बाकी दुनिया का व्यापारिक समीकरण उसके साथ पहले जैसा नहीं रह पाएगा।

विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का लाभ भारत उठाए, यह समय की मांग है। प्रश्न यह है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत को अमेरिका पर कितना विश्वास करना चाहिये? ध्यातव्य है कि कुछ समय पूर्व अमेरिका ने भारत के व्यापारिक हितों के विरुद्ध कुछ कदम इतने उग्र ढंग से उठाए थे कि देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की (अमेरिका वर्ष 1776 और भारत वर्ष 1947) तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई।
- अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, जबिक स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्त्व दिया।
- इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहाँ अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया।
- 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले तथा पिछले एक दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

महत्त्वपूर्ण समझौतों का ऐतिहासिक घटनाक्रम

- सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता (General Security Of Military Information Agreement)-वर्ष 2002
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (वर्ष 2008)
- o लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement)-वर्ष 2016
- भारत-अमेरिका सामिरक उर्जा भागीदारी (वर्ष 2017 में घोषित)
- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA)-वर्ष 2018
- आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक (पिछली बैठक मार्च 2019)

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

- स्वास्थ्य क्षेत्र
 - ♦ वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब 60 लाख डॉलर की सहायता दी है।
 - ♦ भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (Hydroxychloroquine- HCQ) दवाओं की खेप प्रदान की है।
 - मानिसक स्वस्थ्य के मामलों में सहयोग के लिये भारत के 'स्वास्थ्य और पिरवार कल्याण विभाग' तथा अमेरिका के 'हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज' (Health and Human Services) विभाग के बीच समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
 - इसके साथ ही नशीले पदार्थौं/दवाओं पर नियंत्रण के लिये अमेरिका के 'काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप' (Counternarcotics Working Group) के माध्यम से सहयोग।
- रक्षा क्षेत्र
 - फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपित की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमित बनी है।
 - हालिया समझौते के अनुसार, भारत अमेरिका से 24 एम.एच.60 (MH-60) रोमियो हेलिकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों का आयात करेगा।
 - ♦ इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का आयात किया जाएगा।
 - ◆ अन्य सुरक्षा मुद्दों में दोनों देशों ने मानव तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध (Cybercrime), ड्रग तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से साथ मिलकर निपटने पर सहमित जाहिर की।
- ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग
 - ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये भारत की सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation)
 और अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल एल.एन.जी. लिमिटेड (Exxon Mobil LNG LTD.) के बीच प्राकृतिक गैस के आयात
 पर सहमित बनी है।
 - ◆ भारत में नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये यूएस इंटरनेशनल डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (U.S. International Development Finance Corporation-DFC) भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
 - ◆ इसके साथ ही दोनों देशों ने 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड'(Nuclear Power Corporation of India) और 'वेस्टिंगहॉउस इलेक्ट्रिक कंपनी'(Westinghouse Electric Company) के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमित जाहिर की है।
 - 🔷 इसके साथ ही 'मेक-इन-इंडिया' पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौते किये गए हैं।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र
 - ♦ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका ने आसियान (ASEAN) को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समायोजित और समृद्ध हिंद-प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया है।
 - दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिये एक सार्थक आचार संहिता (Code Of Conduct) के निर्माण पर बल दिया।
 - ◆ इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रभावी विकास को बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों में सहयोग के लिये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और विकास भागीदारी प्रशासन (Development Partnership Administration) के बीच नई साझेदारी की पहल का समर्थन किया।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत-जापान-अमेरिका त्रिपक्षीय सम्मेलन, रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 की वार्ताओं और भारत-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जापान (QUAD) आदि के माध्यम से सहयोग और परामर्श को बढ़ने पर जोर दिया गया।

भारत व अमेरिकी साझेदारी के मायने

- वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो वर्ष 2017 के द्विपक्षीय व्यापार से 12.6% अधिक है। गौरतलब है कि अमेरिका भारतीय सेवा क्षेत्र और अन्य कई उत्पादों के लिये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है।
- वर्ष 2018 में भारत से अमेरिका को हुए निर्यात की कीमत लगभग 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2017 से 11.9% अधिक) थी और वर्ष 2018 में ही अमेरिका से लगभग 33.5 बिलियन डॉलर (वर्ष 2017 से 30.6% अधिक) की वस्तुओं का आयात किया गया।
- ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार में तकनीकी के हस्तांतरण को लेकर कई महत्त्वपूर्ण समझौते हुए हैं।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group-NSG) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता
 पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्त्व को दर्शाता है।
- भारत, अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिये तैयार कर सकता है।
- अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना के प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया है। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक
 महामारी के संबंध में जानकारियों को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के
 सम्मुख अलग-थलग हो गया है।
- भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा वार्ता हो या जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिये दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ।
- एशिया महाद्वीप में चीन के बढते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिये भारत अति आवश्यक है।
- चूँकि अमेरिका, अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है इसलिये ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली शक्ति-शून्यता को भरने के लिये भारत की उपस्थिति बेहद महत्त्वपूर्ण है।
- नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव होने हैं, अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के बेहतर संबंध प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति पद के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।

चुनौतियाँ

अफगानिस्तान समस्या के मुद्दे पर भारत तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका के विपरीत स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार और मूलभूत सुविधाओं (जैसे-शिक्षा,स्वास्थ्य) में सहयोग के माध्यम से शांति समाधान का समर्थन करता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भी अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण में अंतर है।

 समन्वित भारत-अमेरिका दृष्टिकोण के लिये सबसे बड़ी चुनौती अब नए अमेरिकी कानून Countering America's Adversaries Through Sanctions Act तथा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के कारण और अधिक प्रतिबंधों का खतरा उत्पन्न हो गया है।

- मध्य-पूर्व (विशेषकर ईरान) के संदर्भ में भारत के विचार अमेरिका की आक्रामक नीति से अलग हैं।
- इसी तरह भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के साथ कई अन्य क्षेत्रों में व्यापार से जुड़े हैं, परंतु रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के लिये अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना किठन हो गया है। भारत के लिये यही समस्या ईरान और अमेरिका के साथ संबंध संतुलन में भी है।
- द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी और कुछ उत्पादों के आयात शुल्क (जैसे-हार्ले डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क) जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारतीय नीति से सहमत नहीं रहा है।

आगे की राह

- भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों
 में अमेरिका सिंहत अन्य देशों से भी व्यापक विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।
- भारत-अमेरिका संबंधों के सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों (जैसे-तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि) के विकास में प्रवासी भारतीयों (वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन) की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, ऐसे में इस क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग (जैसे-वीजा नियमों में सुधार आदि) के प्रयास किये जाने चाहिये।
- विश्व के अन्य क्षेत्रों (जैसे-अफ्रीकी देशों) आदि में नए अवसरों की तलाश और चुनौतियों के निवारण में USAID जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

आत्मनिर्भर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति

संदर्भ

आगामी 15 अगस्त 2020 को भारत अपनी स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगाँठ के आयोजन का साक्षी बनेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस आत्मिनर्भर भारत की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। वस्तुत: आत्मिनर्भरता सदैव ही भारत का लक्ष्य रहा है, परंतु वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता को महसूस किया गया।

वर्तमान में भारत आत्मिनर्भर बनने की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अपनी विदेश नीति का समग्रता से मूल्यांकन भी कर रहा है। इस समय विश्व के विभिन्न घटनाक्रमों नें भारतीय विदेश नीति के समक्ष कुछ किटन चुनौतियों को प्रकट किया है। इनमें प्रमुख हैं- ईरान तेल संकट, अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार तथा चीन की मुखर होती नीति। इन चुनौतियों के कारण भारतीय हितों को वैश्विक स्तर पर साधने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत के हित जहाँ एक ओर अमेरिकी नीतियों के कारण ईरान और रूस के संदर्भ में प्रभावित हो रहे हैं तो दूसरी ओर भारत-अमेरिका व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है। जो दक्षिण एशिया में भारत के लिये समस्या उत्पन्न कर रही है।

भारत ने किसी भी महाशक्ति के दबाव में आए बिना ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, चाहे विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय (वर्ष 1947-1991) रही हो, एकध्रवीय (वर्ष 1991-2008) रही हो या बहुध्रवीय (वर्ष 2008-वर्तमान) रही हो।

विदेश नीति से तात्पर्य

- विदेश नीति एक ढाँचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार, बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है।
 - ◆ वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है।
- िकसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार एवं विशिष्ट भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है।
 - प्रारंभ में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णत: विदेशी कारकों और भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों
 ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलु कारक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिब्दांत

- पंचशील सिद्धांत: उल्लेखनीय हैं कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिये प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिये भी किया गया। पाँच सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
 - एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
 - एक-दूसरे के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
 - पारस्परिक आक्रमण न करना।
 - समता और आपसी लाभ।
 - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की अगुआई में भारत ने वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Alignment Movement) की स्थापना में सहभागिता की। जिसके तहत विकासशील देशों ने पश्चिमी व पूर्वी शक्तियों के समूहों को समर्थन देने से इंकार दिया।
- गुजराल डॉक्ट्रिन: वर्ष 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है इसके तहत पड़ोसी देशों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के विचार को प्राथमिकता दी गई।
- नाभिकीय सिद्धांत: भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1974 तथा द्वितीय नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसके बाद भारत अपने परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक भारत पर हमला न किया जाए साथ ही भारत किसी गैर-नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा।

भारतीय विदेश नीति की वर्तमान दिशा

- वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिये सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत के विदेश मंत्री, ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत, कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिये करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुँचा रहा है, तािक ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क (SAARC) देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया तत्पश्चात उन्होंने G-20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया। जबिक एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्विविहीन लग रहे थे।
- इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त, भारत ने 'विश्व का दवाखाना' की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा है। इसके लिये भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (HCQ) का निर्यात पूरी दुनिया को किया है।
- खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया है। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामॉल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास किया है।
- वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'प्रथम पड़ोस' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबिक बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।
- वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएँ आयोजित की गई, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।

- वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले व वर्ष 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिलों पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं।
- श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तिमल राजनीति से अलग निकाल कर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है।

विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ

- वैश्विक महामारी COVID-19 तथा भारत-चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई, ऐसे में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
- चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिये चुनौती पूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जिरये भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' (String of Pearl's) रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव (Belt And Road Initiative) परियोजनाओं के लिये सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किये हैं जो भारत के लिये चिंता का विषय है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका व जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब जुबानी जंग (Verbal Spat) में परिवर्तित हो चला है। दोनों ही देश समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक-दूसरे को नीचा दिखने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस वैचारिक युद्ध को ही शीत युद्ध 2.0 (Cold War 2.0) की संज्ञा दी है। भारत की विदेश नीति के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के मध्य संतुलन साधने की चुनौती है।
- रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" रूस के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी अब वह स्थिति नहीं है।
- भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को पोषित कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिये तेजी नहीं दिखानी चाहिये और इंतजार करना चाहिये कि पाकिस्तान आंतकवाद जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है।
- ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना भारत की विदेश नीति के लिये एक बड़ी चुनौती है।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति-शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिये चुनौती उत्पन्न करेगी।
- श्रीलंका में चीन समर्थित सरकार का सत्ता में आ जाना भी कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति के लिये एक चुनौती है।

आगे की राह

- भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने सुदूर मित्रों की अवहेलना न कर बैठें। अत: आवश्यकता इस बात की है कि 'विश्व बंधुत्व' की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाय।
- वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इज़राइल-फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका-रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बिल्क आर्थिक गितरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।
- पाकिस्तान को कुछ समय के लिये अलग-थलग करना सही हो सकता है लेकिन दीर्घकाल के लिये यह सही नहीं है। इसलिये वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिये, क्योंकि पडोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है।
- रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है इसलिये अमेरिका से मज़बूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक हैं। भारत की विदेश नीति को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करना भी आवश्यक है।
- हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिये या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी

पर्यावरणीय प्रभाव आकलनः चुनौतियाँ और महत्त्व

संदर्भ

पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों और पर्यावरणिवदों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा लाया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 (Environmental Impact assessment Draft) पर्यावरण प्रभाव आकलन के मूल प्रावधानों को कमज़ोर करता है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

पर्यावरणिवदों और विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में बदलाव करने के लिये लाया गया यह नया मसौदा पर्यावरण विरोधी है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना में आपित्तयों को आमंत्रित करने की अविध को 60 दिनों तक बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि 60 दिनों की अविध कब शुरू होगी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2020 के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment-EIA) की अधिसूचना के संबंध में आपित्तयाँ और सुझाव देने की अंतिम तिथि को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

इस आलेख में पर्यावरण प्रभाव आकलन, उसके प्रभाव, पर्यावरणीय अनुमोदन की प्रक्रिया तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 से जुडी समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
- EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है।
- यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, तािक विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके।
- इन रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़ूरी दे सकते हैं अथवा नहीं।
- भारत में EIA का आरंभ वर्ष 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ आदि को भी शामिल किया गया।
- भारत में EIA प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना EIA रिपोर्ट, लोक सुनवाई आदि चरणों में संपन्न होती है।

पृष्ठभूमि

 पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने जल प्रदूषण (1974) और वायु प्रदूषण (1981) को नियंत्रित करने के लिये शीघ्र ही कानून बनाए। लेकिन वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया।

स्टॉकहोम घोषणा (1972)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई।

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने वर्ष 1994 में अपने पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और (प्रदूषण) को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक विधिक तंत्र स्थापित करता है। प्रत्येक विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये EIA प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।

EIA के पूर्व मानदंड की समस्याएँ

- पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्थापित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया पूर्व में भी कई बार संदेह के घेरे में रही है। उदाहरण के लिये,
 पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित हानिकारक प्रभावों से संबंधित EIA प्रक्रिया का आधार प्राय: कम दक्ष सलाहकार एजेंसियाँ होती हैं जो इसका प्रयोग कर श्रष्टाचार को बढावा देती हैं तथा सरकार को वास्तविक रिपोर्ट नहीं उपलब्ध करती हैं।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रशासिनक क्षमता का अभाव समस्या को और अधिक कठिन बना देता है।
- दूसरी ओर, परियोजना के निर्माणकर्ताओं की शिकायत है कि EIA प्रक्रिया ने उदारीकरण की भावना को न्यून कर दिया है, जिससे लालफीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2014 में परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुमोदन में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदे के प्रावधान

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 EIA प्रक्रिया पर लालफीताशाही और नौकरशाही के लिये कोई ठोस उपाय नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ीं पिरयोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, हालाँकि सरकार अब इस अधिसूचना के जिरये अन्य पिरयोजनाओं के लिये भी 'रणनीतिक' शब्द का प्रयोग कर रही है।
- नये मसौदे के तहत उन कंपनियों या उद्योगों को भी क्लीयरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं। इसे 'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस' कहते हैं।
- इस मसौदे में यह कहा गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का संज्ञान लेगी। हालाँकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन या तो सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही रिपोर्ट किये जा सकते हैं।
- नये मसौदे के तहत पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली परियोजनाएँ भी अब मंज़ूरी के लिये आवेदन कर सकेंगी। यह बिना मंज़ूरी के संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिये मार्च, 2017 की अधिसूचना का पुनर्मृल्यांकन है।

प्रस्तावित मसौदे की समस्याएँ

- किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार को ऐसे कानूनों पर जनता की राय लेनी होती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना होती है और कानून के प्रावधानों में उन्हें भागीदार बनाना होता है, परंतु प्रस्तावित मसौदे में सरकार ने जनता के सुझावों के लिये तय समयसीमा को कम करने का प्रयास किया।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित नई अधिसूचना पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में लोगों के अधिकारों को छीनकर उनकी भूमिका को बहुत कम करती है।
- सरकार ने प्रस्तावित मसौदे के जिरये अन्य पिरयोजनाओं के लिये भी 'रणनीतिक' शब्द का प्रयोग किया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 के तहत अब ऐसी पिरयोजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जो इस श्रेणी में आती हैं।
 - इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि अब पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिये रास्ता खुल जाएगा। उद्योग ऐसी परियोजनाओं को 'रणनीतिक' बताकर आसानी से अनुमित ले लेंगे।
- इसके अतिरिक्त नया मसौदा विभिन्न परियोजनाओं की एक बहुत लंबी सूची पेश करती है जिसे जनता के साथ विचार-विमर्श के दायरे से बाहर रखा गया। उदाहरण के तौर पर देश की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में सड़क या पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के लिये सार्वजिनक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

- एक चिंता यह भी है कि विभिन्न देशों की सीमा से 100 कि.मी. की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को 'बॉर्डर क्षेत्र' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कारण उत्तर-पूर्व का अधिकांश क्षेत्र इस परिभाषा के दायरे में आ जाएगा, जहाँ पर देश की सबसे घनी जैव विविधता पाई जाती है।
 - ♦ इसके अंतर्गत सभी अंतरदेशीय जलमार्ग पिरयोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण को EIA मसौदे के तहत मंजूरी लेने के दायरे से बाहर रखा गया है।
- सरकार के यह सारे प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के लिये बने मूल कानून के साथ ही गंभीर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय मानदंडों में परिवर्तन से स्थानीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही व्यक्ति की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो सकता है, घाटी में बाढ़ आ सकती है और जैव-विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सरकार को पर्यावरणविदों के द्वारा रेखांकित की गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मानवीय जीवन के गरिमामयी विकास के लिये स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है।

वन्यजीव पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता

संदर्भ

पर्यावरणिवदों के अनुसार वर्ष 2018 में बाघ जनगणना हेतु प्रयोग किये गए कैमरा ट्रैप्स में लगभग 17 बाघ अभयारण्यों में बाघों के अतिरिक्त अन्य घरेलू जानवरों (पालतू कुत्ते) की उपस्थित को भी रिकार्ड किया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि बाघ अभयारण्यों में घरेलू जानवरों को उपस्थित से बाघों समेत अन्य जंगली जानवरों को बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे वन्यजीव पारिस्थितिकी में व्यापक पैमाने पर गिरावट होने की संभावना है। वर्ष 2019 में ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (Canine Distemper Virus-CDV) जो कि वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास रहने वाले CDV से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से प्रसारित हुआ था, अब वन्यजीव वैज्ञानिकों के बीच चिंता का विषय बन गया है।

पिछले वर्ष गिर के जंगल में 20 से अधिक शेर वायरल संक्रमण का शिकार हुए थे। यही कारण है कि जंगली जानवरों में इस वायरस के चलते होने वाली बीमारी को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) द्वारा कुछ दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।

जहाँ एक ओर गंभीर बीमारियों से जंगली जानवरों की मृत्यु हो रही है तो वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में हो रहा निर्माण कार्य भी वन्यजीव पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। मानव-वन्यजीव संघर्ष भारत में स्थानिक है। इसे आमतौर पर विकास गतिविधियों की नकारात्मकता और प्राकृतिक आवासों में गिरावट के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

इस आलेख में वन्यजीव पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों तथा संरक्षण के विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी।

पारिस्थितिकी से तात्पर्य

जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर्संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वास्तव में
 जीव जीवन के लिये आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र
 में जैविक समुदाय की गतिविधियों का अध्ययन वन्यजीव पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है।

वन्यजीव पारिस्थितिकी में गिरावट के कारण

- मानव-वन्यजीव संघर्ष
 - भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। यह क्षेत्र वन्यजीवों के आवास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।
 - ◆ एक ओर संरक्षित क्षेत्रों का आकार छोटा है, वहीं दूसरी ओर रिजर्व में वन्यजीवों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बड़े वन्यजीवों जैसे- बाघ, हाथी, भालू, आदि के शिकारों के पनपने के लिये भी पर्याप्त परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाता।
 - ◆ उपर्युक्त स्थिति के कारण वन्यजीव भोजन आदि की ज़रूरतों के लिये खुले आवासों अथवा मानव बस्तियों के करीब आने को मजबूर होते हैं। यह स्थिति मानव-वन्यजीव संघर्ष को जन्म देती है।

- इसके अतिरिक्त भारत के वनों और इसकी जैव विविधता की रक्षा करने हेतु समर्पित प्राथमिक माध्यम यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अपने संरक्षण कार्यों में असफल रहा है।
- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस
 - कैनाइन डिस्टेंपर वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, श्वसन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ-साथ आँखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है।
 - ◆ संक्रमित कुत्तों के माध्यम से CDV बाघ और शेर सिहत भेड़िये, लोमड़ी, रेकून, लाल पांडा, फेरेट और हाइना जैसे जंगली माँसाहारियों
 को भी प्रभावित कर सकता है।
 - ♦ भारत की वन्यजीव पारिस्थितिकी में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया है।
- पारिस्थितको संवेदी क्षेत्रों में निर्माण कार्य
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आँकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से विकास कर रहे देशों में शामिल रहा है। वैश्विक बाज़ार में भारत की इस बढ़त ने देश के सुदूर हिस्सों में भी विकास कार्यों में तेज़ी प्रदान की है। परंतु कई बार विकास-कार्यों के दौरान पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने के लिये आवश्यक मापदंडों का पालन नहीं किया जाता, जो कि वन्यजीव पारिस्थितिकी के संरक्षण में एक बड़ी चुनौती है।
 - ♦ वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक गितविधियों में वृद्धि के लिये विभिन्न नियम और कानूनों में छूट दी है, इससे राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का विस्तार संरक्षित क्षेत्रों के करीब हो सकेगा। इससे वन्यजीव पारिस्थितिकी में और अधिक गिरावट होने की आशंका व्यक्त की गई है। इससे पूर्व वाणिज्यिक लाभ तथा ट्रॉफी हंटिंग (मनोरंजन के लिये शिकार) के कारण पहले ही बड़ी संख्या में वन्यजीवों का शिकार किया जाता रहा है।
 - ◆ पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये केंद्र तथा राज्यों में अलग-अलग नियामक इकाइयों का गठन किया जाता है। परंतु कुछ मामलों में इन नियामकों द्वारा प्रायोजकों की कार्यप्रणाली की जाँच व उन पर नियंत्रण के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते।
- जलवाय परिवर्तन
 - ♦ इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने भी वन्य जीवों को प्रभावित किया है या यूँ कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर वन्य जीवों पर पड़ता है तो गलत नहीं होगा। वन्य जीवों के प्रभावित होने से उनके प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर पलायन करते हैं और इससे मनुष्यों व वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्यजीव तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध
 व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम [wildlife (protection) act], 1972 लागू किया।
- इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और कानून के तहत अपराधों के लिये सजा एवं जुर्माने और अधिक कठोर बना दिया गया।
- मंत्रालय ने अधिनियम को मज़बूत बनाने के लिये कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है।
- इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पितयों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत में वन्यजीवों के संरक्षण हेत् वैधानिक प्रावधान

- वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भारत के संविधान में 42वें संशोधन (1976) अधिनियम द्वारा दो नए अनुच्छेद 48 (A) व 51 (A) को जोड़कर वन्यजीवों से संबंधित विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त हो रहे वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्यजीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव योजना वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वन्यजीव संरक्षण का कार्य सिर्फ संरिक्षत क्षेत्रों यथा- राष्ट्रीय वन्यजीव पार्कों, टाइगर रिजर्व आदि
 तक सीमित रहता है तो कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर खड़ी होंगी। उदाहरण के लिये, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड वन्यजीव संरक्षण
 आधिनियम की सूची-1 (इस सूची में शामिल वन्यजीवों को हानि पहुँचाना समग्र भारत में प्रतिबंधित है) में शामिल है और इस पक्षी के लिये
 विशेष अभयारण्य भी स्थापित किया गया है फिर भी यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है।
- वन्यजीवों के लिये सुरक्षित क्षेत्र के साथ-साथ इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र जो जन भागीदारी पर आधारित हैं, के निर्माण पर भी बल देना चाहिये।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु एकीकृत पूर्व चेतावनी तंत्र (Integrating Early Warning System) की सहायता से नुकसान को कम करने के लिये प्रयास किया जा सकता है। इसके लिये खेतों में बाड लगाना तथा पालतू एवं कृषि से संबंधित पशुओं की सुरक्षा के लिये बेहतर प्रबंधन करना, आदि उपाय किये जा सकते हैं।
- ऐसे वन्यजीव (हिरन, सुअर आदि) जो बाघ एवं अन्य बड़े पशुओं का भोजन है, के शिकार पर रोक लगानी चाहिये जिससे ऐसे पशुओं के लिये भोजन की कमी न हो।
- पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उचित वन्यजीव प्रबंधन के प्रयास किये जाने चाहिये ताकि आपात स्थिति के समय उचित निर्णय लिया
 जा सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाली हानि को रोका जा सके।
- वन्यजीवों से होने वाले फसलों के नुकसान के लिये फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिये इससे स्थानीय कृषकों में वन्यजीवों के प्रति बदले की भावना में कमी आएगी, जिससे वन्यजीवों की हानि को रोका जा सकता है।
- भारत में एलीफैंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, इसी तर्ज पर टाइगर कॉरिडोर एवं अन्य बड़े वन्यजीवों के लिये भी गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिये, इसके साथ ही ईको-ब्रिज आदि के निर्माण पर भी जोर देना चाहिये। इन कार्यों के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से कोष की प्राप्ति की जा सकती है।

निष्कर्ष

बाघ व अन्य वन्यजीव पारिस्थितिक तंत्र की विविधता एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, साथ ही बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। वर्ष 1973 से अब तक बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या मानव-वन्यजीव संघर्ष के रूप में सामने आई है। यदि मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा वन्यजीव पारिस्थितिकी में गिरावट के मूल में जाएँ तो यह पाते हैं कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में वन्यजीवों के आवासीय क्षेत्र में कमी इसका प्रमुख कारण था। अत: अब हमारा प्रयास पारिस्थितिक तंत्र तथा विकास के मध्य संतुलन बनाने पर केंद्रित होना चाहिये।

सामाजिक न्याय

व्यापक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव समाज के सुभेद्य वर्ग पर पड़ा है। इस सुभेद्य वर्ग में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, जो अपने गृह राज्यों से रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर आए थे। दैनिक मजदूरी कर अपना जीवनयापन करने वाला यह वर्ग अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। वस्तुत: लॉकडाउन के दौरान इन कामगारों की पीड़ा प्रत्येक टी.वी. चैनल के लिये आकर्षण का केंद्र थी, परंतु जैसे-जैसे अब देश अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रहा है कामगारों से संबंधित मुद्दे भी हवा हो गए हैं।

इन कामगारों का गाँवों से महानगरों की ओर पलायन का मुख्य कारण रोजगार ही था, परंतु जब इस वैश्विक महामारी ने महानगरों में अपने पैर पसारे तब कामगारों के पास गाँवों की ओर वापस लौटने (रिवर्स माइग्रेशन) के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। चूँकि ये कामगार अधिकतर बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से संबंधित हैं जहाँ पहले से ही औद्योगीकरण व रोजगार का अभाव है। अपने गृह राज्यों में भी रोजगार की व्यापक कमी तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अभाव से इनके सामने जीवन निर्वाह की अत्यंत कठिन चुनौती है।

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से यह जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। इतना ही नहीं सतत् विकास हेतु 'एजेंडा 2030' के तहत संबंधित विभिन्न लक्ष्यों में सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिकता का सिद्धांत निहित है।

प्रवासी श्रमिक या कामगार

- एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिये पलायन करता है।
 प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।
- विदित है कि प्रवासी श्रिमिक दैनिक मज़दूरी कर अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि इन्हें दैनिक मज़दूरी नहीं प्राप्त होती है तो इनके पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

क्या है सामाजिक सुरक्षा?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो स्वयं तथा अपने आश्रितों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है।
- अमेरिकन विश्वकोष में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है 'सामाजिक सुरक्षा कुछ उन विशेष सरकारी योजनाओं की ओर संकेत करती है जिनका प्रारंभिक लक्ष्य सभी परिवारों को कम-से-कम जीवन निर्वाह के साधन और शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करके दिरद्रता से मुक्ति दिलाना होता है'।

सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

- भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र
 - देश की अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80 प्रतिशत
 है।
 - ♦ भारत का असंगठित क्षेत्र मूलत: ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशत: वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं।
 - गाँवों में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

- 🔷 शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं।
- ◆ इनमें अधिकतर ऐसे लोग है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों-महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं।
- महँगी स्वास्थ्य सेवाएँ
 - महँगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है।
 - इसके साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिये
 राज्य के नीति-नियंताओं का ध्यान आकर्षित किया है।
 - ♦ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मूलभूत शर्त है बिल्क यह अन्य लक्ष्यों जैसे-गरीबी उन्मूलन (SDG-1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण (SDG-5), उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि (SDG-8), बुनियादी ढाँचा (SDG-9), असमानता कम करना (SDG-10), न्याय और शांति (SDG-16) आदि की प्राप्त के लिये भी आवश्यक है।
- गरीबी का बढ़ता स्तर
 - ♦ 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Programme-UNDP) तथा 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव' (Oxford Poverty and Human Development Initiative-OPHI) द्वारा 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index, 2020-GMPI) से संबंधित आँकड़े जारी किये गए हैं।
 - वर्ष 2018 तक भारत में लगभग 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे।
 - ♦ वैश्विक महामारी के प्रभाव की अगर बात की जाए तो निश्चित ही इस संख्या में तीव्र वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। विशेषज्ञों का मत है कि पिछले 10 वर्षों में जितने परिवार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं, उतने ही परिवार अब पुन: गरीबी के दायरे में आ जाएँगे।
- बेरोजगारी दर में वृद्धि
 - लॉकडाउन के कारण विभिन्न कारखाने व छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिससे व्यापक स्तर पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और बेरोजगारी दर में तीव्र वृद्धि हुई।
 - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Centre for Monitoring Indian Economy-CMIE) की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2020 में बेरोज़गारी दर 27.1 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।
 - ♦ हालाँकि CMIE की जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, बेरोज़गारी दर में गिरावट होकर 8.5 के स्तर पर आ गई, जो एक राहत की बात है। परंतु लॉकडाउन के बाद रोज़गार प्राप्त करने वाले लोगों को प्रचिलत दर से कम वेतन दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय है।
- सामाजिक सुरक्षा पर अपर्याप्त व्यय
 - भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का एक व्यापक उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा (सार्वजिनक स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर) पर समग्र सार्वजिनक व्यय केवल अनुमानित है।
- बढ़ती हुई जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था
 - ◆ जिटल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगित ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें। इसिलये सरकार समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलाती तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएँ हैं, जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती हैं।

सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास

 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट जब पेश हुआ था तो सरकार ने 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना' शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वस्तुत: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस योजना में मासिक आय की राशि को घटाकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसमें किसानों, गरीब व्यक्तियों, महिलाओं, विरष्ठ नागिरकों तथा स्वयं सहायता समूहों के लिये वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना: आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक,माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008: विधायी उपायों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के संबंध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता है।
- आम आदमी बीमा योजना: सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिये आम आदमी बीमा योजना (AABY)
 प्रारंभ की है।
- वेतन संहिता विधेयक, 2019: यह विधेयक वेतन की परिभाषा को सरल बनाता है। यह सभी कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मज़दूरी एवं समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान करता है।
- असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये कई अन्य रोजगार सृजन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएँ, मछुआरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि।

आगे की राह

- आज भी इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व (मैटरिनटी) सुरक्षा, छोटे बच्चों की देख-रेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये समग्र नीति बनानी चाहिये।
- सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं के क्रियान्वयन स्तर पर ध्यान दिये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- सरकार को विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, घरेलू नौकरों, मंडियों में काम करने वाले श्रिमकों और रेहड़ी-पटरी वालों पर ध्यान देना चाहिये।
 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नीति निर्माण में भागीदारी देनी चाहिये और राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिये।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल: महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

देश के प्रमुख विपक्षी दलों के अनुसार, राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री का धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना 'प्रधानमंत्री के रूप में ली गई शपथ के साथ-साथ संविधान की मूल संरचना' का भी उल्लंघन है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन कर 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' का शिलान्यास किया और कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता व भावना का प्रतीक है तथा इससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। राम मंदिर को भारतीय संस्कृति की ''समृद्ध विरासत'' का द्योतक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की, बल्कि अनंतकाल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।

वस्तुत: धर्मिनरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक से संबंधित मामलों से जान बूझकर दूर रखा जाता है अर्थात् तटस्थ रखा जाता है। धर्मिनरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है।

इस आलेख में धर्मिनरपेक्षता, धर्मिनरपेक्षता का संवैधानिक दृष्टिकोण, धर्मिनरपेक्षता के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष, धर्मिनरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन तथा चुनौतियों और समाधान पर विमर्श किया जाएगा।

धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य

- धर्मिनरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर-धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे।
- धर्मिनरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है।
- धर्मिनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मिनरपेक्षता के संदर्भ में धर्म, व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमे राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण

- भारतीय पिरप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मिनरपेक्षता की अवधारणा निहित थी जो संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद-25 से 28) से स्पष्ट होती है।
- भारतीय संविधान में पुन: धर्मिनिरपेक्षता को पिरभाषित करते हुए 42 वें संविधान संशोधन अधिनयम, 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में 'पंथ निरपेक्षता' शब्द को जोड़ा गया।
- यहाँ पंथिनरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी।
- पंथिनरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है।
- भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

- भारतीय धर्मिनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्त्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-
 - धर्मिनरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मिनरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है।
 - ♦ एक धर्मिनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है सभी धर्मों के प्रति एक सिहष्णु रवैया अपनाता है।
 - व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है इसिलये वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्मिनरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।
 - ♦ धर्मिनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।
 - ♦ इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मज़बूती प्रदान करता है।

धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष

- धर्मिनरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो 'सर्वधर्म समभाव' की भावना से परिचालित है।
- धर्मिनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करती है।
- इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदायों पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है।
- यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है।
- धर्मिनरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है।

धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मिनरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है। अर्थात् इसकी जड़े/उत्पत्ति ईसाइयत में खोजी जाती हैं।
- धर्मिनरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिये खतरा उत्पन्न करती है। भारतीय संदर्भ में धर्मिनरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है जो अल्पसंख्यकों के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढावा देती हैं।
- धर्मिनरपेक्षता को कभी-कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है जो समुदायों/व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है।
 - धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन
- कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मिनरपेक्षता पश्चिमी धर्मिनरपेक्षता की नकल भर है। लेकिन संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मिनरपेक्षता पश्चिमी धर्मिनरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
 - पश्चिमी धर्मिनरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर-धार्मिक समानता पर आधारित है।
 - पश्चिम में धर्मिनरपेक्षता का पूर्णत: नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
 - गौरतलब है कि भारतीय धर्मिनरपेक्षता ने अंत:धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दिलतों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किये जा सकने वाले खतरों का विरोध किया है, जो इसे पश्चिमी धर्मिनरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न बनाती है।
 - यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिये कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जबिक भारत में मंदिरों, मिस्जिदों में मिहलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं।
 - भारतीय धर्मिनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं सरकार ने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बिंद्

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है।
- धर्म निरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात इसाईयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मिनरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है, यह कहीं से आयातित नहीं बिल्क मौलिक है।
- यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्मिनरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के
 मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि सामाजिक
 सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन धर्मावलंबी अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों सालों
 से चले आने के आधार पर कर रहे हैं।

- धर्मिनरपेक्षता पर सवाल उठाती कुछ घटनाएँ भी इसके समक्ष चुनौती पेश करती रही हैं जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड और वर्ष 2003 के गुजरात दंगे, गौहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि।
- आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढावा देती है।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चनौती है।

समाधान

- चूँकि धर्मिनरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग है अत:सरकारों को चाहिये कि वे इसका संरक्षण सुनिश्चित करें।
- एस.आर.बोम्मई बनाम भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अत: राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है।
- यूनिफार्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है, को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है।
- किसी भी धर्मिनरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है। अत: जनप्रतिनिधियों को चाहिये कि वे इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचें।

आगे की राह

- सरकार को चाहिये कि वह इसका सरंक्षण सुनिश्चित करे चूँकि धर्मिनरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा मान लिया
- धर्मिनरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये।
- जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिये कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होता है। अंत उसे वोट बैंक के लिये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिये। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिये।

पैतक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार

संदर्भ

वर्तमान में महिला समाज को भूमि/संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित रखना वास्तव में उस आधी आबादी अथवा आधी दुनिया की अवमानना है जो एक माँ, बहन और पत्नी अथवा महिला किसान के रूप में दो गज जमीन और मुट्ठी भर संपत्ति की वाजिब हकदार है। भारत में महिलाओं के भूमि तथा संपत्ति पर अधिकार, केवल वैधानिक अवमानना के उलझे सवाल भर नहीं हैं बल्कि उसका मूल, उस सामाजिक जड़ता में है जिसे आज आधुनिक भारत में नैतिकता के आधार पर चुनौती दिया ही जाना चाहिये। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ संवैधानिक प्रतिबद्धता और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की आधी आबादी आज भी धरातल पर अपनी जडों की सतत तलाश में है।

11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय नें हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुये एक बार फिर समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक (संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार) अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (Hindu Succession (Amendment) Act), 2005 से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित हैं या नहीं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये गए संशोधनों का विस्तार किया, इन संशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया था।
- यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ साथ बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को छह माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया।
 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956:
- हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी।
- यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया हैं।
- एक अविभाजित हिंदू परिवार में, कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख करते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu Succession (Amendment) Act], 2005:

- 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक/ कॉपर्सेंनर के रूप में मान्यता दी गई।
- अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर्सेंनर की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर्सेंनर माना गया।
- इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गई।
- यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम से।
- विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की सिफारिश की गई थी।
- वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तिमलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था। केरल ने वर्ष 1975 में ही हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

पुनर्व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महिलाओं को समान अधिकार दिये गए थे, फिर भी कई मामलों में यह प्रश्न उठा कि क्या कानून भूतलक्षी रूप से लागू होता है।
- प्रश्न यह था कि क्या महिलाओं के अधिकार पिता की जीवित स्थिति पर निर्भर करते थे जिनके माध्यम से उन्हें विरासत में मिलेगी।
- पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों ने इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी विचार रखे थे, जिनमें स्पष्टता का अभाव था। परिणामस्वरूप विधि विशेषज्ञों द्वारा अतार्किक तर्क प्रस्तुत किये जा रहे थे।
- वर्ष 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती वाद में दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पिता की मौत 9 सितंबर, 2005 को हिंदू
 उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के पारित होने से पहले हो गई है तो बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
- परंतु इसके बाद वर्ष 2018 में दन्नमा बनाम अमर वाद में दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि भले ही पिता की मौत अधिनियम लागू होने के बाद हुई हो तब भी बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिये।
- ऐसे में अभी तक इस प्रावधान को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय के बाद समाप्त होती दिख रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार

 सर्वोच्च न्यायालय ने मिताक्षरा विधि का अध्ययन कर यह पाया कि एक पिता के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान परिवार के सभी सदस्य को कॉपर्सनरी का अधिकार प्राप्त होता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए पिता की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2005 के संशोधन ने एक ऐसे अधिकार को मान्यता दी जो वास्तव में बेटी द्वारा जन्म के समय अर्जित किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पुत्री को वही उत्तराधिकारिता हासिल होगी जितनी उसे उस स्थिति में होती अगर वह एक पुत्र के रूप में जन्म लेती। अर्थात पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो।

सरकार का पक्ष

- भारत के महान्यायवादी/सॉलिसिटर जनरल ने मिहलाओं को समान अधिकारों की अनुमित देने के लिये कानून का व्यापक संदर्भ में अध्ययन किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया।
- सॉलिसिटर जनरल ने मिताक्षरा कॉपर्सनरी (Mitakshara coparcenary), 1956 कानून की आलोचना की क्योंकि यह कानून लैंगिक आधार पर भेदभाव करता है और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) के लिये दमनकारी और नकारात्मक भी है।

निष्कर्ष

गाँधी जी का मानना था कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई परिवार है और होनी भी चाहिये। महिलाओं की संपत्ति, भूमि और समानता के अधिकारों की मान्यता और उससे उपजे प्रश्नों का प्रथम समाधान वास्तव में परिवार के बुनियादी और सबसे व्यवहारिक इकाई में ही संभव है। सरकार और न्यायालय महिलाओं के अधिकारों के लिये नियम-अधिनयम तो बना और बता सकती हैं, लेकिन जैसा सर्वोच्च न्यायालय के व्याख्या के निहितार्थ थे कि सामाजिक मान्यताओं का कायाकल्प भी होना चाहिये तभी कानून, महिलाओं के अधिकारों को वास्तविकता में बदल पाएगा।